

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न० 128/2019

प्रार्थीगण :-

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. रूपा वल्द पूनमा कौम राईका साकिन तिलवाड़ा
2. ललीताकंवर पत्नि जगदीशसिंह कौम राजपूत सा० तिलवाड़ा
3. गोपाराम पुत्र पन्नाराम कौम पालीवाल साकिन तिलवाड़ा
4. काना वल्द करमी कौम राईका निवासी तिलवाड़ा  
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती करने बाबत

उपस्थिति:- 1. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा  
निर्णय

दिनांक :- 18.06.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि तहसील पचपदरा को डी आई एल आर एल पी योजनान्तर्गत अतिशीघ्र ऑनलाईन कर सभी सुविधाएँ ऑनलाईन उपलब्ध करवाने के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं। ऑनलाईन तहसील होने के पश्चात् काश्तकारों को सीधे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ई-मित्र कियोस्क पर समस्त रेकर्ड एवं नक्शें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तथा उनका समय एवं धन भी बचेगा। तहसील पचपदरा के सरहद मौजा तिलवाड़ा में मूल खेत खसरा संख्या 346/16 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। अन्त में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के मूल खसरे के अनुसार एकीकरण करने का निवेदन किया गया। यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को खारिज किया गया, प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 09.01.2020 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर पुन बरामद करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र पुनः बरामद किया गया।



उप सचिव अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा



विप्राथीगण को नोटिस जारी किया गया विप्राथीगण वादबद्ध सूचना अनुसंधान पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

परीकार सरकार की बहस का मूला मया प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मौजा तिलवाड़ा में मूल खेत खसरा संख्या 348/11 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी हज्जत, मू-अभिलखत निर्देशक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरा विभाजित किये हुए हैं नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे कायम के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्राथीगण के कब्जे कायम के अनुसार की गई तरमीम का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त खसरों में विभाजित किये गये खसरों का एकीकरण पूर्व की स्थिति के अनुसार करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में सरकार दस्तावेजानुसार प्रस्तावित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2070-73 मय नक्शा लट्टा ट्रेस एंड प्ररिफाइट अ के अनुसार मौजा तिलवाड़ा में मूल खेत खसरा संख्या 348/11 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से मौजा बदरखौंड में मूल खेत खसरा संख्या 78 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरा विभाजित किये हुए हैं नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे कायम के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्राथीगण के कब्जे कायम के अनुसार की गई तरमीम का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा तिलवाड़ा में मूल खेत खसरा संख्या 348/11 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण करने हेतु प्रस्तावित परिशिष्ट अ के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के तहसीलदार पंचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में परिशिष्ट अ के मुताबिक अमलदरानन्द किया जावे। तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट अ इस निर्णय के अन्तिम अंग होगा। इस निर्णय से यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/ आवेदन प्रस्तुत करके चाराजोही कर सकता है।



निर्णय आदेश दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

रजि. सं. 100/2021  
उप-सूचना अधिकारी  
(S.D.O.) बल्लेश्वर

रजि. सं. 100/2021  
उप-सूचना अधिकारी  
(S.D.O.) बल्लेश्वर